ऑन लाईन नं. GCMS 2025/96

: न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 30 / 2025

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

वनाम

1. श्री भगवान दास पुत्र श्री ताराचंद — (विकेता व प्रोपराईटर)—
   मै. गौरव ट्रेडिंग कंपनी, 399—पटेल नगर, ताराचंद वाटिका के पास, टावर रोड, पुरानी आवादी, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांकः 30.05.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक— संख्या प.5 (01) चिस्वा / ग्रुप—3 / ई—5095 / 2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता / संस्था. / 2024 / 1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता / संस्था / 2024 / 1225 दिनांक 09. 07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.01.2025 को समय 12:30 पी. एम. बजे को **मैसर्स— गौरव ट्रेडिंग कम्पनी, 399—पटेल नगर, ताराचन्द वाटिका के पास, टावर रोड, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर** पर पहुँचे, मौके **श्री भगवान दास पुत्र श्री ताराचन्द (विकेता व प्रोपराइटर)** को अपना परिचय देकर उक्त दुकान का निरिक्षण कर संस्थान पर रखें खाद्य पदार्थ Dora Mishri के बारे मे जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वंय को संस्थान का प्रोपराइटर बताया व संस्थान में रखें 380 कार्टून में लगभग 7600 किलो खाद्य पदार्थ Dora Mishri को आमजन में विक्रय वास्ते होना बताया, इसी खाद्य पदार्थ क्वतं डपेीतप में मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ Dora Mishri का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया। फार्म न 5ए न्यायनिर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री भगवान दास पुत्र श्री ताराचन्द (विक्रेता व प्रोपराइटर)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री भगवान दास पुत्र श्री ताराचन्द (विक्रेता व प्रोपराइटर)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ 380 कार्टून मे एक कार्टुन Dora Mishri में से 800 gm को वजनी कर प्रोपराइटर से खरीद कर लिया। प्रोपराइटर को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य

अति0 जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

पदार्थ Dora Mishri का नगद भुगतान 44 रूपये किया तथा केशमीमो वनवाकर लिया जिस पर प्रोपराइटर तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ Dora Mishri को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया और चारों बोतलों पर लेवल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के–2644 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोवारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं के–2644 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से वांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नगूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील वन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विकेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री भगवान दास पुत्र श्री ताराचंद (विक्रेता व प्रोपराईटर)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./09/Act/2025/09 Dated 13.01.2025 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2644 Substandard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री भगवान दास पुत्र श्री ताराचंद (विक्रेता व प्रोपराईटर) मैसर्स– गौरव ट्रेडिंग कम्पनी, 399–पटेल नगर, ताराचन्द वाटिका के पास, टावर रोड, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर Dora Mishri का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 09.05.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी ताराचंद वाटिका के पास, टावर रोड, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर का रहने वाला है तथा प्रार्थी फर्म मैसर्स– गौरव ट्रेडिंग कम्पनी, 399–पटेल नगर, ताराचन्द वाटिका के पास, टावर रोड, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 25/207 दिनांक 12.05. 2025 का दिया है कि आपकी दुकान मे 380 कार्टून में लगभग 7600 किलो खाद्य पदार्थ डोरा मिश्री रखा हुआ पाया गया तो डोरा मिश्री substandard Food पाया गया है प्रार्थी ने उक्त

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

... मिश्री मे सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नही करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। उक्त प्रकरण स० 30/2025 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया Dora Mishri का सैम्पल **K-2644** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक– L.S./09/Act/2025/09 Dated 13.01.2025 **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नही करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। उक्त प्रकरण स० 30/2025 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **Mishri** bearing code No. K-2644 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Sub-Standard Food as** it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री भगवान दास पुत्र श्री ताराचंद (विक्रेता व प्रोपराईटर) मैसर्स– गौरव ट्रेडिंग कम्पनी, 399–पटेल नगर, ताराचन्द वाटिका के पास, टावर रोड, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त **श्री भगवान दास पुत्र श्री ताराचंद (विक्रेता व प्रोपराईटर) मैसर्स– गौरव ट्रेडिंग कम्पनी, 399–पटेल नगर, ताराचन्द वाटिका के पास, टावर रोड, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर** को **राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश प्रदान किया जाता है कि **संस्थान में रखे 380 कार्टून में लगभग 7600 किलो अमानक खाद्य पदार्थ Dora Mishri को जब्त कर नियमानुसार निस्तारण करें एवं की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षकर्ता को सूचित करना सुनिश्चित करें।**

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा०)
श्रीगंगानगर।